भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 4138
(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

व्यापार करने में सुगमता पर आईबीसी का प्रभाव

4138. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री राव राजेन्द्र सिंहः
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में व्यापार करने में सुगमता पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की प्रमुख उपलब्धियों और प्रभाव का ब्यौरा क्या है;
(ख) पूर्ववर्ती दिवाला व्यवस्था/शोधन अक्षमता प्रणाली की तुलना में आईबीसी के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा प्राप्त वसूली दर के संबंध में आंकड़े क्या हैं;
(ग) आईबीसी के कार्यान्वयन के पश्चात् गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव के संबंध में आंकड़े क्या हैं तथा आईबीसी के अंतर्गत आवेदकों को होने वाले विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) देश में साख संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में आईबीसी की क्या भूमिका है; और
(ङ) सरकार द्वारा विवाद समाधान में सहायक समाधान पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की सबसे बड़ी उपलब्धि वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों के समाधान की उसकी क्षमता और उस पर लेनदारों द्वारा वसूली रही है। पुनरुद्धार के लिए

एक स्पष्ट और समयबद्ध ढांचे की पेशकश करके, आईबीसी ने लेनदारों के विश्वास को मजबूत किया है और घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित किया है। आईबीसी ने परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक तेज और अधिक संरचित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करके भारत में व्यापार में सुगमता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च, 2025 तक, कुल 1,194 कंपनियों को आईबीसी ढांचे के तहत सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। इन मामलों के माध्यम से, लेनदारों ने 3.89 लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है, जो कुल स्वीकृत दावों का 32.8%, परिसमापन मूल्य के 170% से अधिक और इन कंपनियों के उचित मूल्य का 93% से अधिक है, जैसा कि आईबीसी प्रक्रिया में स्वीकृति के समय मूल्यांकन किया गया था।

(ग): आईबीसी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जून 2025) के अनुसार, मार्च 2025 के अंत में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में काफी गिरावट आई है, जो 2.3% के बहु-दशकीय निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह कटौती एक मजबूत, अधिक स्थिर बैंकिंग प्रणाली को इंगित करती है। 2023-24 के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट (26 दिसंबर, 2024 को जारी) में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एससीबी ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल 96,325 करोड़ रुपए की वसूली की। इसमें से अकेले आईबीसी चैनल ने 46,340 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कुल वसूली का 48.1% है। सरकार ने आईबीसी में छह विधायी संशोधन किए हैं और इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव किए हैं, ताकि दिवाला समाधान ढांचे को मजबूत किया जा सके और प्रक्रियात्मक दक्षता को बढ़ाया जा सके जिससे विलम्ब को कम किया जा सके।

(घ): आईबीसी ने कंपनियों और उनके देनदारों के बीच व्यवहारिक बदलाव को जन्म दिया है। एक विश्वसनीय खतरा पैदा करके कि डिफ़ॉल्ट कंपनियां स्वामित्व खो सकती हैं, संहिता ने देनदारों और लेनदारों के बीच गतिशीलता को मौलिक रूप से नया आकार दिया है।

(ङ): दिवाला पेशेवरों (आईपी) की क्षमता निर्माण के लिए कई पहल की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने व्यावहारिक कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और सम्मेलनों की एक श्रृंखला संचालित की। इसने प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्व बैंक, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) जैसे विशेषज्ञ निकायों के साथ भी सहयोग किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया, जो सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए आईपी मूल्यवान एक्सपोजर प्रदान करते हैं।

******